संख्या-324/2015/5395/नौ-5-2015-275सा/2014

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2015-16 में रामपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थल तक सम्पर्क मार्ग हेतु भूमि क्रय किए जाने हेतु आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, रामपुर के पत्र संख्या-652/ओएसडी., दिनांक 05.09.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रामपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थल तक सम्पर्क मार्ग हेतु उक्त पत्र में उल्लिखित विवरण के अनुसार भूमि क्रय किए जाने हेतु अपेक्षित धनराशि **रू0 1,39,97,480.00 (रू0 एक करोड़ उन्तालिस लाख सन्तान्वे हजार चार सौ अस्सी मात्र)** स्वीकृत किये जाने पर श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि आहरति कर जिलाधिकारी, रामपुर को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
(2) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/ समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
(5) प्रश्नगत कार्य की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।
(6) राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों को अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) भूमि अर्जन से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेंगी।
(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों, उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थित हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-*"2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-324/2015/5395/नौ-5-15-275सा/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, वर्क्स लेखा अनुभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
3- जिलाधिकारी, रामपुर को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, रामपुर।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/9 एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।